अध्याय -VII

# समीक्षा और मॉनीटरिंग तंत्र

धान की खरीद प्रक्रिया के दौरान, एफसीआई/एसजीएज़ के गोदामों और चावल मिलमालिकों के परिसरों तक इसका परिवहन तथा एफसीआई/एसजीएज़ को चावल की सुपुर्दगी के स्तर तक, उपमानक धान की खरीद, मिलमालिकों के परिसरों में धान का खराब होना/गबन और धान स्टॉक का आवधिक भौतिक सत्यापन न करना आदि जैसे नियमों से विभिन्न विचलन लेखापरीक्षा में देखे गये थे। यह मॉनीटरिंग तंत्र की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण था। इस संबंध में मुख्य लेखापरीक्षा अवलोकन अग्रलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं।

## 7.1 मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक व्ययों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

राज्य सरकारों की खाद्य सब्सिडी के निर्मुक्त करने के मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत, मंत्रालय सभी राज्यों से प्रस्तावों को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक विपणन से पहले एसजीएज़ (लेवी चावल के मामले में मिलमालिक) को अदा किये जाने की विभिन्न आकस्मिकताओं को दर्शाती एक अस्थाई लागत शीट जारी करता है। अस्थाई लागत शीटों के लिए प्रासंगिक व्यय का निर्णय मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक सिद्धांतों के आधार पर लिया जाता है और तत्पश्चात अंतिम रूप से एसजीएज़ के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित होती हैं। सब्सिडी के भुगतान हेतु समान प्रणाली एफसीआई के लिए लागू होती है।

सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने एसजीएज़ की खरीद संबंधी प्रसंगिक व्यय और विगत वर्ष हेतु चावल, गेहूँ और अपरिष्कृत अनाज की खरीद व्यय को अंतिम रूप देने के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे के प्रस्तुतीकरण के लिए संशोधित प्रक्रिया के साथ दिशा निर्देश जारी किये थे। *पूर्वोक्त* दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखापरीक्षित लेखे के आधार पर लागत शीट तैयार करते समय अनंतिम निष्कर्षों की एक प्रति अनंतिम निष्कर्षों की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं तो, को भेजने के लिए एक अनुरोध के साथ मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजनी होती है। राज्य सरकारों को यह दर्शाते हुए कि क्या वह मामले में आगे चर्चा करना चाहती है, एक विकल्प भी दिया जा सकता है। और राज्य सरकार की टिप्पणियों/विचार के मामले में अनंतिम निष्कर्षों की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर प्राप्त न होने पर, खरीद प्रासंगिक व्यय को अनंतिम निष्कर्ष और अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि कई वर्षों (राज्य दर राज्य अलग-अलग) हेतु राज्य सरकार/एसजीएज़ के प्रासंगिक व्यय और दावों को विभिन्न कारणों जैसे राज्य सरकारों द्वारा समय पर लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत न करना, मंत्रालय द्वारा अनंतिम निष्कर्षों में विलम्ब, राज्य सरकारों द्वारा अनंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब आदि के कारण मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जाना लंबित था।

केएमएस 2009-10 से 2013-14 के दौरान देखी गई विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है:

**क)** केएमएस 2009-10 हेतु हरियाणा की राज्य सरकार के संबंध में मंत्रालय के अनंतिम निष्कर्ष 27 दिसम्बर 2013 को जारी किये गये थे परंतु राज्य सरकार की टिप्पणियां 28 मार्च 2014 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार, केएमएस 2010-11 हेतु अस्थाई निष्कर्ष 7 जनवरी 2014 तक राज्य सरकार को भेजे गये थे परंतु उत्तर 29 अप्रैल 2014 को प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने 30 दिनों की विनिर्दिष्ट समयावधि के प्रति लगभग 90 दिनों की अवधि के बाद उत्तर दिया। प्रासंगिक व्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया (सितम्बर 2014)।

**ख)** उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2013 तक केएमएस 2009-10 हेतु प्रासंगिक व्यय को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीक्षित लेखे अैर अन्य दस्तावेज भेजे, यद्यपि मंत्रालय अगस्त 2014 तक अनंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किये गये थे।

इसी प्रकार, शेष पांच राज्यों (पंजाब, बिहार, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़) के प्रासंगिक व्यय को अंतिम रूप देने में भी विलम्ब देखा गया। इसी प्रकार मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अस्थाई निष्कर्ष भेजनें में भी विलंब पाया गया। फलस्वरूप प्रासंगिक विभिन्न राज्यों के लिए एक से पॉच वर्षों के बीत जाने के बाद भी अस्थायी रूप में पड़ा हुआ है।

**ग)** आंध्र प्रदेश के मामले में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि केएमएस 2007-08 और 2008-09 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अंतिम दरें पहले बताई गई अस्थाई दरों से कम थीं। लेखापरीक्षा ने अंतरीय राशि को निकाला तथा पाया कि ₹ 30.84 करोड़ की राशि केएमएस 2007-08 और 2008-09 की अवधि हेतु सुपुर्द किये गये सीएमआर स्टॉकों के लिए आंध्र प्रदेश सामान्य आपूर्ति निगम लिमिटेड (एपीएससीएससीएल) से वसूली योग्य है। यद्यपि, (एपीएससीएससीएल) से भारत सरकार द्वारा अंतिम दरों को संप्रेषित करने की तिथि से काफी समय की चूक के बावजूद कोई राशि वसूल नहीं की गई थी।

*लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014 और जून 2015) कि अधिकतर राज्य बार-बार अनुस्मारकों तथा नियमित बैठकों के बावजूद अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में अक्षम थे। तथापि, यदि चूककर्ता राज्यों के मामले में कोई प्रगति नहीं की जाती है तब मंत्रालय कुछ निवारक कार्य करेगा जैसाकि सूचीकरण आदि के लाभ की अनुमति न देना।*

यद्यपि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और तथ्य यह रहा कि राज्य सरकार द्वारा लेखों के सामयिक प्रस्तुतीकरण की निगरानी और प्रासंगिक व्ययों का सुनिश्चितिकरण निर्धारित सारणी के अनुसार नहीं किया जा रहा।

| सिफारिश संख्या 15 | मंत्रालय का उत्तर |
|---|---|
| अधिप्राप्ति प्रासंगिक व्ययों का सुनिश्चितिकरण निर्धारित सारणी के पालन द्वारा समबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। | सिफारिश स्वीकृत हैं। |

## 7.2 निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप एफसीआई पंजाब और हरियाण क्षेत्रों में पिछले वर्ष के चावलों का वितरण हुआ।

केएमएस 2009-10 से 2013-14 की कार्ययोजना के अनुसार, महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) को अपनी स्वंय की नियंत्रण प्रणाली से यह सुनिश्चित करना था कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पीडीएस खाद्यान्नों का पुनर्चक्रण नहीं हुआ है और मिलों की मिलिंग क्षमता, वर्तमान केएमएस के दौरान उगाही के योग्य मिल मालिकों द्वारा प्रोसेस्ट धान की मात्रा आदि के संदर्भ में कड़ी चौकसी रखी गई है। अधिप्राप्ति में पीडीएस चावल के पुनर्चक्रण[97] की कोई भी घटना को उपचारात्मक कार्य के लिए तुरंत राज्य सरकार के ध्यान में लाना होगा।

पंजाब क्षेत्र में संगरूर, लुधियाना, पटियाला ओर मोगा जिलों में लेखापरीक्षा ने यह देखा कि ₹ 3,739.96 करोड़ से 19.13 एलएमटी सीएमआर जोकि पिछले फसल वर्ष (2009-10 से 2012-13) के थे, मिल मालिकों द्वारा एफसीआई को आगामी केएमएस (2010-11 से 2013-14) के दौरान क्रमानुसार वितरित किया गया।

समानरूप से, हरियाणा क्षेत्र में करनाल कैथल और कुरूक्षेत्र के जिलों में ₹ 242.25 करोड़ मूल्य के 1.14 एलएमटी सीएमआर जोकि पिछले फसल वर्ष (2009-10 से 2012-13) के थे, को मिल मालिकों द्वारा एफसीआई को वर्तमान केएमएस (2010-11 से 2013-14) के दौरान वितरित किया गया।

अवलोकनों ने दर्शाया कि एसजीएज़ के सीएमआर का मिल मालिकों द्वारा धान की खरीद के एक वर्ष बाद वितरण किया गया और पिछले दो वर्षों के सीएमआर का वितरण एफसीआई को एक साथ किया गया। एफसीआई के गुणवत्ता स्टाफ ने खाद्यान्न के भौतिक विश्लेषण के

---

*[97] इसका अर्थ है विलम्बित वितरण जहां एक केएमएस में प्राप्त धान को चावल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है जिसकी अगले केएमएस में उच्चतर दर पर आपूर्ति की जाती है जिसके परिणामस्वरूप मिल-मालिकों को अनुचित लाभ होता है।*

लिए पुरानी हस्तचालित प्रक्रिया का अनुसरण किया और मिल मालिकों द्वारा वितरित पुराने/पुनरावर्तित चावलों की जांच के लिए चावल/धान गुणवत्ता विश्लेषण (प्रयोगशाला जांच) के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई।

| सिफारिश संख्या 16 | मंत्रालय का उत्तर |
|---|---|
| पुनरावर्तन की संभावनाओं को घटाने और पुराने बनाम नये धान की जांच करने के लिए एक प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है। भारत सरकार मिल-मालिकों द्वारा वितरित पुराने/पुनरावर्तित चावलों की जांच के लिए प्रक्रिया विकसित करने पर विचार कर सकती हैं। | सिफारिश स्वीकृत हैं। |

## 7.3 जांच प्रणाली में कमियां

लेखापरीक्षा ने चावल की मिलिंग से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित प्रणाली में कमियों की काफी संख्या देखी। मुख्य राज्यावार अवलोकन निम्न पैराग्राफ में दिया गया हैं।

### 7.3.1 पंजाब में स्थिति

क) फसल वर्ष[98] 2012-13 तक, एफसीआई की ओर से केन्द्रीय पूल के लिए एसजीएज़ द्वारा मंडियों से प्राप्त धान स्टॉक का सीधे मिल मालिकों के गोदामों/परिसार में मिल उद्देश्य से संयुक्त हिरासत के तहत भण्डारण किया गया। हालॉकि फसल-वर्ष 2013-14 में प्राप्त धान को मिल-मालिक परिसर में रखा गया था और संयुक्त हिरासत के तहत नहीं। केएमएस 2009-10 से 2013-14 से संबंधित कस्टम मीलिंग पॉलसी के प्रावधानों के अनुसार, एसजीएज़ के स्टाफ को धान की मात्रा और गुणवत्ता की जांच के लिए हर पखवाड़ें में धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन का संचालन और संबंधित एजेसियों के जिला अधिकारियों को नियमित रूप से पीवी रिपोर्ट की कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थीं। इन रिपोर्टों में, स्टॉक की भौतिक उपलब्धता और गुणवत्ता दर्शाने के अलावा मिल-मालिक के पास उपलब्ध और वितरित मात्रा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।

---

[98] *कृषि वर्ष वित्तीय वर्ष के समरूप होता है, अप्रैल से सितम्बर रबी फसल और अक्टूबर से मार्च खरीफ के समान होता है।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन एसजीएज़ में पीवीज़ के संचालन में 58 *प्रतिशत* की न्यूनता आई थी। पंजाब राज्य माल-गोदाम निगम के जिला कार्यालयों ने संचालित पीवी सें संबंधित सूचना नहीं दी।

*एसजीएज़ एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पंजाब में आयोजित राज्य एग्ज़िट सम्मेलन में कहा कि (फरवरी 2015) श्रम-शक्ति की कमी और भारत सरकार द्वारा भौतिक सत्यापन (पीवी) व्ययों की गैर-अदायगी के कारण धान का केवल सतही पीवी किया गया। वैसे भी डिस्टैकिंग, तोल और रिस्टैकिंग द्वारा पीवी का संचालन करना संभव नहीं है।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा पीवी में दिखाई गई कमी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित लक्ष्य के विरूद्ध है  जिन्होंने पहले ही पीवी के संचालन की प्रक्रिया को ध्यान में रखा है चाहे सतही गणना द्वारा या तोल द्वारा बनाए गए मापदंडों की अनुपालना पर निर्धारित थी

**ख) कस्टम मिलिंग पॉलिसी के खण्डों का गैर-अनुपालन और अपर्याप्त निगरानी**

कस्टम मिलिंग पॉलिसी के अनुसार मिल-मालिकों की पत्रता, रोकड़ अनुभूति के साथ अथवा बिना, उनकी मिलिंग क्षमता के अनुसार निश्चित होती है। चूंकि धान का भण्डारण मिलमालिकों के परिसर में होता है, अत: एसजीएज़ के हितों की रक्षा के लिए हर पखवाड़े में नियमित रूप से भौतिक-सत्यापन (पीवी) की आवश्यकता हैं। नीचे उल्लिखित चयनित ज़िला कार्यालयों मे एसजीएज़ ने सीएमपी के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की:

**i)** दो जिलों में {पंजाब राज्य माल-गोदाम निगम (पीएसडब्ल्यूसी), लुधियाना और पीएसडब्ल्यूसी, पटियाला} आवंटित धान मिलिंग क्षमता से अधिक था।

**ii)** 14 मे से 13 मामलों में (पीएसडब्ल्यूसी संगरूर के अलावा) हर पखवाडे में या तो पीवी का संचालन नहीं किया गया अथवा उचित ढंग से संचालन नहीं किया गया।

**iii)** धीमी मिलिंग के बावजूद, धान का अन्य मिल-मालिकों को स्थानातंरण करने की समयोचित कार्यवाही नहीं की गई। मिल-मालिकों की मिलिंग क्षमता से अधिक धान का आवंटन, राज्य सरकार/एफसीआई द्वारा मिल-मालिक परिसर के पड़ें हुए स्टॉक का गैर-सत्यापन और आंतरिक नियंत्रण की कमी जैसे सीएमपी के प्रावधानों के गैर अनुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 73.08 करोड़ रूपये के धान का गैर वितरण हुआ।

*एसजीएज़ ने कहा कि श्रम-शक्ति की कमी और भारत सरकार द्वारा भौतिक सत्यापन की गैर अदायगी के कारण धान का केवल सतही भौतिक सत्यापन किया गया।*

एसजीएज़ ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया। तो भी यह तथ्य रहता है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक सत्यापन की कमी खाद्यान्न के गैर-वितरण के जोखिम को बहुत बढ़ाता हैं।

**ग) तकनीकी स्टाफ द्वारा घटिया धान की खरीद**

यह देखा गया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान संगरूर, लुधियाना, पटियाला और मोगा के जिले में क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) ने 0.99 *प्रतिशत* तथा क्षेत्रीय अधिकारी दल ने 26.95 *प्रतिशत* चावल, जोकि विनिर्देश के अनुरूप नहीं रहे, का पता लगाया। इसके अलावा उसी अवधि के दौरान आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय दल ने अस्वीकृति सीमा के परे के तौर पर 9.15 *प्रतिशत* चावल का पता लगाया इसने यह दर्शाया कि वहां पर तकनीकी सहायकों द्वारा घटिया चावल[99] की व्यापक स्वीकृति थी।

*हालांकि, मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि जिला प्रयोगशाला में नमूने के निरस्तीकरण का स्तर का पता न लगना यह नही दर्शाता है कि जिला प्रयोगशालाओं ने उचित तरीके से कर्तव्यों का पालन नहीं किया।*

यह स्पष्ट है कि जिला प्रयोगशालाओं ने उन मुख्य कार्यो में से एक को उचित रूप से निष्पादित नही किया जिसके लिए उन्हें पंजाब में स्थापित किया गया था अर्थात नमूना परीक्षण में चावल के आर्थिक निरस्तीकरण स्तर का पता लगाने के लिए।

### 7.3.2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थिति

**क) निर्धारित विवरणी की गैर-प्रस्तुति**

आंध्र प्रदेश के कार्यालयों में प्रवर्तन में जिला आपूर्ति अधिकारियों (डीएसओ) के स्टाफ सदस्यों[100] को नियमित अंतराल पर बहि शेष के संदर्भ में स्टॉक के निरीक्षण का संचालन, मिल-मालिकों से आवश्यक सूचना प्राप्त करना और डीएसओं को पखवाड़े पर व्यापार विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक था। किन्तु प्रवर्तन स्टाफ ने ऐसी व्यापार विवरणी प्रस्तुत नहीं की। चावल मिल-मालिक ने भी मासिक रिपोर्ट डीएसओ को प्रस्तुत नही की। इसके कारण लेखापरीक्षा में एकत्रित चावल की आपूर्ति और धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में समय-समय पर मिल-मालिकों द्वारा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की जांच नहीं हो सकी।

---

*[99] भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक समान विनिर्देशों से प्रमाणित नहीं होने वाले चावल*

*[100] अनाज खरीद सहायक, अनाज खरीद सहायक अधिकारी और खाद्य इंस्पेक्टर*

**ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो राज्यों में बिना भौतिक गतिविधि के प्रभार मुक्त चावल का कागजों में सथानांतरण**

सांविधिक प्रणाली के तहत लेवी चावल की गतिविधि की गई जहां पर राज्य सरकार ने भारत सरकार की सलाहपर केंदीय पूल के लिए एफसीआई को धान की मिलिंग के परिणास्वरूप चावल के विशिष्ट *प्रतिशत* के वितरण के लिए निजी चावल मिल-मालिकों/डीलरों को निर्देश देते हुए प्रभार आदेश जारी किए कि निजी चावल मिल-मालिक या विक्रेता परिणामी चावल का 75 *प्रतिशत* वितरण करेगा और 25 *प्रतिशत* प्रभार मुक्त चावल खुले बाजार में बेच सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी पांच जिलों[101] में ₹ 4,187.48 करोड़ के 20.45 एलएमटी चावल मिल-मालिकों द्वारा प्रभार मुक्त चावल के तौर पर प्रयुक्त हुए कहा गया। किन्तु विश्लेषण ने दर्शाया कि केएमएस 2012-13 और 2013-14 के दौरान यह स्टॉक मिल-मालिकों के परिसर से अन्य मिल-मालिकों/व्यापारियों के परिसर तक वास्तविक तौर पर नहीं पहुँचाए गए। स्टॉक की गतिविधि केवल कागजों में थी और चावलों की कोई भौतिक गतिविधि नहीं हुई। इस प्रद्धति में मिल मालिकों द्वारा अगले वर्ष के लिए प्रभार कोटा को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष के उगाही मुक्त चावल को उच्चतर दरों पर प्रयोग करने का जोखिम है क्योंकि आगमी वर्ष में पुराना स्टॉक विक्रय में उच्चतर दर ला सकता हैं।

*लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कि चावलों का स्थानातंरण केवल कागजों में हुआ और चावलों की कोई भौतिक गतिविधि शामिल नहीं थी, आंध्रपदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड ने कहा कि प्रभार मुक्त के स्थानातंरण की योग्यता समय समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में जारी की गई थी। योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद चावल का भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए मिल-मालिक को निर्देश नहीं दिए गए थे, किन्तु यह सुनिश्चित किया गया था कि जिला प्रभार लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए है।*

वास्तविक अंतरण किए बिना उगाही मुक्त चावलों का लाने ले जाने की पद्धति मिल-मालिकों द्वारा पुरानें स्टॉक को अगले वर्ष में पुन: चक्रित करने और उसी के लिए उच्च्तर मूल्य प्राप्त करने के जोखिम से भरपूर हैं।

---

[101] *पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, निज़ामाबाद, नालगोंडा*

### 7.3.3 उत्तर प्रदेश में स्थिति

**क) विशेष भौतिक सत्यापन की कमी (एसपीवी)**

खरीद नीति के अनुसार, प्राधिकरणों द्वारा एसपीवी का संचालन सुरक्षित भण्डारण और गुणवत्ता प्रतिमानों को सुनिश्चित करने हेतु करना चाहिए। किंतु मिल-मालिकों के परिसर में स्टॉक की स्थिति की जांच के लिए 11 जिलों के 160 मिल-मालिकों का एसपीवी विभिन्न उच्चतर प्राधिकरणों जैसे कि आयुक्त, क्षेत्रीय खाद्य आयुक्त और जिला स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय एवं ज़िला स्तरीय अधिकारी मिल-मालिक परिसर में धान के सुरक्षित भण्डारण और एफसीआई को सीएमआर का सामयिक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक सत्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी थे। किंतु एसजीएज़ ने ऐसी कोई सत्यापन रिपोर्ट नहीं बनाई थी। सत्यापन रिपोर्ट की अनुपस्थिति में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान यह पता लगाने के लिए कोई साधन नहीं थे कि वितरित धान और परिणामी चावल का भण्डार खुले या ढ़के हुए और न्याधार (सीएपी) क्षेत्र में किया गया था।

**ख) धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त निगरानी**

खरीद नीति के निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार, ज़िला खाद्य और वितरण अधिकारी (डीएफएमओं) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि, सामायिक केन्द्रों के खुलने के साथ साथ किसानों को आवश्यक सुविधाएं[102] दी गई हैं, कम से कम सप्ताह में एक बार प्रत्येक खरीद की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि धान की अधिप्राप्ति मापदंड और आवश्यक गुणवत्ता के अनुसार की गई है।

सभी चयनित ज़िलों में डीएफएमओं द्वारा आवश्यक संख्या में जांच नही की गई। आगे यह भी देखा गया कि जिला/क्षेत्रीय स्तर पर कोई पृथक प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई जो कि इस बात का सूचक है कि अधिप्राप्त धान की गुणवत्ता की जांच एसजीएज़ द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई।

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान खरीद नीति में निर्धारित प्राधिकरणों को 11 जिलों के मिल-मालिकों ने कोई विवरणी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। यह सभी तथ्य अर्पयाप्त निगरानी का संकेत देते है जिससे कि धान/चावल के गबन की संभावना बढ़ जाती है।

---

[102] *पीने का पानी, पंखा टेंट आदि*

### ग) ₹ 7.33 करोड़ के असमायोजित क्षतिग्रस्त धान

क्षेत्रीय लेखा कार्यालय बरेली में लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 7.33 करोड़ के दाम पर 38,653.03[103] क्विंटल चावल क्षतिग्रस्त दिखाए गए थे जों कि आयुक्त खाद्य एवं सिविल आपूर्ति द्वारा समायोजित/काटे नहीं गए थे। लेखापरीक्षा को खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा चावल की क्षति और की गई कार्यवाही की प्रमाणिकता नहीं दी गई जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में प्रमाणिकता के औचित्य की जांच नहीं हो सकी।

## 7.3.4 हरियाणा में स्थिति

### क) तकनीकी स्टॉक द्वारा घटिया धान की खरीद

2009-10 से 2013-14 के दौरान कैथल, कुरूक्षेत्र और फतेहबाद के राजस्व जिलों में जिला प्रयोगशालाओं द्वारा चावल विश्लेषण ने यह दिखाया कि जिला प्रयोगशालाओं ने 2,907 नमूनों की जांच करने के लिए उठाया तथा 4.68 एलएमटी (9.47 *प्रतिशत*) चावल की जांच की (इन राजस्व जिलों में 49.42 एलएमटी प्राप्त) और पता लगाया कि कोई भी नमूना नामंजूरी सीमा के परे (बीआरएल) नहीं था। इस प्रकार जिला प्रयोगशालाओं ने चावल को विनिर्देश के अनुरूप पाया।

किंतु 2009-10 से 2013-14 के दौरान एफसीआई के हरियाणा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) ने 0.16 *प्रतिशत* जबकि क्षेत्रीय अधिकारी दल ने 2.44 *प्रतिशत* चावल का पता लगाया जो कि विनिर्देश के अनुरूप नहीं थे। इसके अलावा, आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय दल ने 13.58 *प्रतिशत* चावल को उसी अवधि में नामंजूरी सीमा के परे पाया। यह दर्शाता है कि वहां पर तकनीकी सहायकों द्वारा धटिया चावल की व्यापक स्वीकृति थी। चूंकि 2009-10 से 2013-14 तक पिछले पांच वर्षों में उपरोक्त ज़िला प्रयोग शाला में घटिया चावल का कोई मामला देखा नहीं गया, अत: यह अपनाई गई नूमनाकरण तकनीकों और जिला प्रयोगशालाओं के प्रभावीपन पर प्रश्न चिन्ह उठाता है।

### ख) चावल मिल-मालिकों से संबंधित रिकॉर्ड में कमियां

प्रत्येक वर्ष खाद्य एवं आपूर्ती विभाग द्वारा जारी धान की खरीद के दिशानिर्देश कहते हैं कि धान की कस्टम मिलिंग का दायित्व लेने वाले मिल-मालिक निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित एसजीएज़ के साथ तुरंत करार का निष्पादन करेगे। आगे दिशानिर्देश कहते हैं कि प्रत्येक मिल-मालिक स्टैक की स्थिति, प्रत्येक स्टैक में बोरियों की संख्या के साथ स्टैक संख्या का वर्णन देते हुए तीन प्रतियों में चित्रीय चार्ट/रेखा चित्र तैयार करेगा। दिशानिर्देश यह भी कहते

---

[103] *26,253.42 क्विंटल चावल पीलीभीत ज़िले में और 12,399.61 क्विंटल चावल शाहजहांनपुर ज़िले में*

हैं कि मिल-मालिकों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता सुनिश्चित होनी चाहिए। आगे, एसजीएज़ द्वारा मिल-मालिकों के साथ किए गए करार कहते हैं कि प्रत्येक मिल-मालिक सम्पूर्ण धान एवं चावल का बीमा करवाएगा।

परन्तु लेखापरीक्षा ने देखा कि:

**i)** मिल-मालिक द्वारा कोई चित्रीय चार्ट प्रस्तुत नही किया गया।

**ii)** एसजीएज़ के जिला कार्यालयों मे मिल-मालिकों के भण्डारण क्षमता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

**iii)** किसी भी मिल-मालिक ने धान का बीमा कराया है, इसका कोई रिकार्ड नहीं था।

**iv)** असके अतिरिक्त हरियाणा राज्य माल गोदाम निगम, पानीपत के मामले में खरीफ विपणन सत्र 2009-10 और 2010-11 के लिए मिल-मालिकों के साथ किया गया करार, हालांकि पूछा गया, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

*खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, हरियाणा ने आवश्वस्त किया कि इस सबंध में उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी।*

### 7.3.5 छत्तीसगढ़ में स्थिति

#### क) जांच मे न्यूनता

जांच के अनुसार, धान की अधिप्राप्ति और चावल स्टॉक के स्वीकरण/खरीद के अनुगमन में एफसीआई की प्ररिक्षण नमूना जांच और विश्लेषण प्रक्रिया के अनुसार केवल लिखे हुए विनिर्देश से अनुरूप चावल की स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए परम जांच की जायेगी।

किंतु लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि उच्चतर अधिकारियों द्वारा की गई परम जांचों में काफी अधिक कमी थी। 2010-11 से 2013-14 के दौरान तीन मामलों में क्षेत्रीय प्रबंधक ने स्वीकृत स्टॉक के 2 *प्रतिशत* से कम की परीक्षण जांच की थी और छह मामलों में सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) ने एक पखवाड़े में स्वीकृत स्टॉक के 10 *प्रतिशत* से कम की जांच की। उप महाप्रबंधन (गुणवत्ता नियंत्रण) के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जांच मे कमी 63 *प्रतिशत* से 72 *प्रतिशत* के बीच थी और वर्ष 2010-11 और 2013-14 में जीएम के संबंध में 8 *प्रतिशत* और 63 *प्रतिशत* के बीच थी।

*एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा एफसीआई मुख्यालय द्वारा निर्धारित के अनुसार नियमित रूप से अनिवार्य जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के लिए गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ/अधिकारियों (तकनीकी सहायक) की कमी के संबंध में तथ्यों के पुष्टीकरण के दौरान, यह उत्तर दिया गया कि यह मामला एफसीआई आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय के पास ले जाया गया और हमारे अनुरोध*

*पर एफसीआई आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय ने अन्य क्षेत्रों से अस्थायी तौर पर स्टाफ व्यवस्थित किया।*

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उच्च प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले निर्धारित निरीक्षणों में भी कमी थी। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि महासमुंद केंद्र के अंतर्गत हालांकि मिलों की मिलिंग क्षमता 100 लोट् प्रतिदिन थी फिर भी तकनीकी स्टॉफ की कमी के कारण केवल 45 लोट् ही स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, स्टॉफ की कमी खरीद प्रचालनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी।

*मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) और क्षेत्र प्रबंधक द्वारा दस प्रतिशत और दो प्रतिशत की निर्धारित जांच उनके पिछले निरीक्षण के बाद खरीदे गए लोट्स की संख्या पर आधारित है जबकि लेखापरीक्षा ने दो सप्ताह के दौरान खरीदी गई मात्रा पर प्रतिशतता की गणना की है। इसने यह भी बताया कि जीएम की तरफ से कमी आई जब वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे।*

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिमान यह निर्दिष्ट नहीं करते कि निर्धारित जांच पिछले निरीक्षण के बाद की जानी चाहिए और इस प्रकार विद्यमान पद्धति के कारण छत्तीसगढ़ में निरीक्षणों में कमी आई।

**ख) मिल-मालिक के परिसरों मे स्टॉक का अपर्याप्त भौतिक सत्यापन**

राज्य सरकार के मिलिंग करार/उगाही आदेशों के अनुसार धान और चावल के स्टॉक का अनिवार्य पीवी नियमित रूप से मिल-मालिक परिसर में किया जायेगा। प्रर्वतन अधिकारियों को धान की एमएसपी पर खरीद, धान की मिलिंग और उगाही चावल के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर चावल मिल की जांच करने की आवश्यकता है। स्टॉक की भौतिक उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता को दर्शाने के अलावा वितरित और मिल-मालिकों के पास उपलब्ध मात्रा पीवी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के सात चयनित जिलो में यह देखा गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पीवी नहीं किया गया और पीवी की अवधि से संबंधित कोई प्रतिमान निश्चित नहीं किए गए। कुछ मामलों में, जहां पीवी किया गया था, यह देखा गया कि मिल-मालिक ने या तो स्टॉक रिकॉर्ड संधृत नहीं किए थे या अनुचित ढंग से संधृत किए थे। एमएआरकेफईडी ने दोषी मिल-मालिकों के खिलाफ 9 मामले पंजीकृत किए थे और चार चयनित जिलों[104] में 1,347.80 एमटी धान और 380.14 एमटी चावल जब्त किया गया।

---

[104] *रायपुर, धमतरी, दुर्ग और राजनन्दगांव*

*इस पर ध्यान दिलाने पर, खाद्य नियंत्रक, छत्तीसगढ़ ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि विभाग द्वारा पीवी के लिए कोई प्रतिमान निश्चित नहीं किए गए थे।*

लेखापरीक्षा का यह मत है कि धान/चावल स्टॉक के बेहतर और प्रभावी भण्डारण प्रबंधन के लिए पीवी का संचालन करने के लिए प्रतिमान होने चाहिए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि छत्तीसगढ़ सरकार को मिल मालिक परिसरों में बचे भंडार के पाक्षिक पीवी के पालन के लिए सलाह दी जा रही है।

**ग) मिल-मालिकों द्वारा रिपोर्टों का गैर-प्रस्तुतीकरण**

कस्टम मिलर करार के खंड 10.1(2) के अनुसार, प्रत्येक मिल-मालिक को प्रत्येक महीने की सात तारीख को संबंधित जिला विपणन अधिकारियों (डीएमओ) को धान के उत्तोलन और चावल के वितरण का विवरण प्रस्तुत करना होता है। सात जिलों में यह देखा गया कि करार की शर्तों का खंडन करते हुए धान के उत्तोलन और चावल के वितरण के संबंध में मिल-मालिकों द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

*इन जिलों के डीएमओ ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि मिल-मालिकों द्वारा विवरणी/रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के सबंध में राज्य सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किए।*

**घ) भंडार की दोहरी हैडलिंग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में ₹ 3.94 करोड़ का परिहार्य हैंडलिंग प्रभार हुआ।**

छत्तीसगढ़ में, मंत्रालय ने जून 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) के लिए चावल को अतिरिक्त आबंटन किया (मई/जून 2011)। इसके मद्देनजर, मंत्रालय ने मार्च 2012 तक केंद्रीय निर्गम कीमत के अंतर्गत एपीएल श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ में 5,180 एमटी चावल प्रतिमाह और बीपीएल परिवारों के लिए 1.35 एलएमटी चावल के अतिरिक्त आबंटन का अनुमोदन किया था। एपीएल और बीपीएल के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन के भंडार को एफसीआई भंडार से उठाया जाना था। आबंटित मात्रा के प्रति, एफसीआई ने जून 2011 से मार्च 2012 के दौरान राज्य सरकार को एफसीआई द्वारा प्रतिधारित भंडार से 1.66 एलएमटी चावल जारी किया था।

राज्य सरकार के भंडार लेखा से प्राप्त की गई भंडार स्थिति से यह देखा गया कि राज्य सरकार के पास जून 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान चावल का पर्याप्त भंडार था। तथापि, अतिरिक्त आबंटन को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने एफसीआई भंडारों से खाद्यान्नों को उठाने का अनुदेश दिया जिसमे हैडलिंग आदि पर प्रासंगिक व्यय शामिल है। इसके

परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3.94[105] करोड़ की हैंडलिंग लागत के प्रति अधिक व्यय हुआ।

### 7.3.6 ओडिसा मे स्थिति

**क) धान की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त भौतिक सत्यापन**

मिल-मालिक परिसर में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण (प्रधिकृत अधिकारी द्वारा) और प्रतिपरीक्षण (प्रवर्तन अधिकारी, जिला अधिकारी-कम सिविल आपूर्ती अधिकारी की आवधिक जांच, जिला न्यायाधीश द्वारा) की एक स्थापित प्रणाली होने के बावजूद, वह उचित ढंग से कार्यान्वित नही हुई थी चूंकि प्राधिकृत अधिकारी स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने में नियमित नहीं थे और डीएम-कम-सीएमओ, प्रवर्तन अधिकारी और जिला न्यायाधीश द्वारा आवधिक जांच की कमी थी। ओड़िसा राज्य सिविल आपूर्ती निगम लिमिटेड (ओएससीएससी) द्वारा संचालित विशेष लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की।

ख) धान और चावल की संयुक्त अभिरक्षा और रख रखाव के लिए नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी जिला कार्यालयों को प्रस्तुत करने हेतु साप्ताहिक भौतिक सत्यापन करते हैं। स्टॉक में कोई भी कमी, गबन, विपथन धीमा सुपुर्दगी तुरंत ज़िला प्रबंधक के नोटिस में लाया जाता है। मिल-मालिकों के साथ ओएससीएससी द्वारा किया गया करार कहता है कि जिला प्रबंधक या उसके प्राधिकृत अधिकारी नियमित तौर पर धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। उगाही के तहत, प्रवर्तन अधिकारी कम से कम सप्ताह में एक बार स्टॉक का आवधिक रूप से सत्यापन करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भौतिक सत्यापन की आवधिकता में नियमितता नहीं रखी गई। भद्रक जिले में, 153 करारों के संबंध में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 4,949 आवश्यक सत्यापनों के विरूद्ध केवल 2,472 सत्यापन (50 *प्रतिशत*) किए गए थे। बारगढ़ जिले में, 2009-14 के दौरान 442 करारों के विरूद्ध आवश्यक 21,408 के विरूद्ध 8,502 (39 *प्रतिशत*) सत्यापन किए गए थे, मल्कानिगिरी ज़िले में उगाही आदेशों के संबंध में आवश्यक 4,784 सत्यापनों के विरूद्ध 1,259 भौतिक सत्यापन (26 *प्रतिशत*) किए गए थे।

### 7.3.7 बिहार में स्थिति

धान अधिप्राप्ति की निगरानी प्रणाली के संबंध में नोटिस की गई त्रुटियों की व्याख्या नीचे की गई हैं:-

---

*[105] ₹ 239 प्रति एमटी की औसत हैंडलिंग लागत पर गिना गया*

i) बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम (बीएसएफसी) द्वारा निश्चित प्रतिमानों के अनुसार मिल का चयन करने के पूर्व जिला प्रशासन द्वारा केवल मिल का उचित भौतिक सत्यापन करने के बाद ही मिल-मालिक को धन प्रदान कराये जाने थे। किंतु इस प्रकार का भौतिक सत्यापन राज्य में संबंधित प्रधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा था।

ii) इसके अतिरिक्त मिल-मालिक और एसजीएज़ के बीच करार के अनुसार, मिल-मालिक को एफसीआई को अग्रिम रूप से ही चावल का वितरण/आपूर्ति करना था। चावल की मिलिंग के पश्चात धान की सापेक्ष मात्रा मिल-मालिकों को जारी करना होती थी। किंतु इसका पालन नहीं किया गया।

iii) उप-कलेक्टर और उच्च को आवश्यक भूमि रिकॉर्डस के सत्यापन के साथ प्राप्त धान के सत्यापन के लिए प्रवर्तन अधिकारी बनाया गया था लेकिन सात चयनित जिलों के 14 ब्लॉक में यह निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार नहीं किया गया। उद्धत कारण कार्य की बहुलता बताया गया जिसके परिणामस्वरूप खराब सत्यापन हुआ।

iv) रोकड़ बही का विववरण, रोकड़ जमा खाता, मियादी जमा खाता और बजट/आवंटन रिकार्ड जैसे महत्वपूर्ण नियंत्रण दस्तावेजों को उचित ढंग से नही रखा गया था।

v) 2013-14 (अप्रैल 2014) के केएमएस के लिए डीसीपी योजना के तहत खाद्यान्न के वितरण के लिए दिशानिर्देश बनाते हुए, एसजीए, बीएसएफसी ने एफसीआई की भूमिका निर्धारित की थी। उसके अनुसार एफसीआई के प्रतिनिधियों को सीएमआर की उपलब्धता की जांच करनी थी, उसका पीवी करना था और भौतिक सत्यापन के उद्देश्य से निर्धारित फार्मेट में हस्ताक्षर करने थे। किंतु लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जैसा कि डीसीपी राज्यों हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों में निर्धारित है, 2013-14 केएमएमस के दौरान डीसीपी योजना के तहत अधिप्राप्त सीएमआर के गुणवत्ता पहलू की जांच में एफसीआई ने बीएसएफसी के साथ सहयोग नहीं किया। एफसीआई ने अपनी ओर से कहा कि बीएसएफसी स्टाक् गणनीय अवस्था में नहीं रखे गऐ थे और इस कारण एफसीआई स्टाफ के लिए बोरियों की संख्या/स्टॉक के वज़न का आंकलन करने में कठिनाई होगी। इसमे आगे कहा गया कि एफसीआई बिहार क्षेत्र में स्टाफ की कमी थी। इसके अतिरिक्त 2013-14 केएमएस के दौरान स्टॉक के गुणवत्ता पहलुओं की जांच के लिए बीएसएफसी ने एफसीआई क्षेत्रीय अधिकारी, पटना को 101 गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुरोध किया जिसके लिए एफसीआई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सीएमआर की धीमी गति के वितरण के कारण बिहार क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता हुई जिसमें काफी परिवहन लागत लगी। किंतु माल भाड़े और विविध

उतराई-चढाई पर अतिरिक्त लागत से बचने के लिए एसजीए द्वारा अधिप्राप्ति में एफसीआई द्वारा निरिक्षण की गति में कमी पाई गई।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि डीसीपी योजना के तहत अधिप्राप्त चावल के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पहलू के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एफसीआई द्वारा उचित अनुगमन नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार अब भी एनएफएसए के तहत इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एफसीआई पर निर्भर है क्यूंकि इसने अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 के दौरान 13.28 एलएमटी चावल का उत्तोलन किया, हालांकि राज्य 2013-14 केएमएस से प्रभावी डीसीपी योजना पर अंतरण कर चुकी है

| **सिफारिश सं. 17** | **मंत्रालय का उत्तर** |
|---|---|
| एफसीआई/एसजीएज़ अधिप्राप्ति के चरण में गुणवत्ता जांच के लिए श्रमशाक्ति बढ़ाने के बारे में सोचे और धान की अधिप्राप्ति मिलिंग और वितरण परिचालनों के लिए निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमियों में सुधार करें। | सिफारिश स्वीकृत है। |

## निष्कर्ष:

कस्टम मिल्ड चावल/उगाही चावल योजना भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र अधिप्राप्ति ढांचा और निजी क्षेत्र मिलिंग क्षमताओं के बीच सहक्रियता का लाभ उठाने के लिए परिकल्पित की गई थी। किंतु मिलिंग प्रभार के पुन: प्रतिष्ठापना में देरी और धान/चावल की अभिरक्षा पर खराब नियंत्रण के परिणामस्वरूप न केवल निजी चावल मिल-मालिको को अनावश्यक अप्रत्याशित लाभ हुआ बल्कि उनके द्वारा धान और चावल की व्यापक और बड़े पैमाने पर गैर सुपुर्दगी की घटनाए देखी गई। इसके अलावा, असमान परिचालन पद्धतियो और लागत मानदंड के कारण पूरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त बिना किसानों के यथार्थता और असलियत का पता लगाए धान की एमएसपी वितरित की गई। आगे यह भी पाया गया कि प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों के कारण धान/चावल गुणवत्ता में छूट का फायदा किसानों के बजाय मिल-मालिकों को मिला। इन कमियों के कारण भी भारत-सरकार के खाद्य अनुदान व्यय में बहुत अधिक परिहार्य बढ़ोतरी हुई।

इस रिपोर्ट में लाए गए रिक्त स्थानों/कमियों को संबोधित करने के लिए इस योजना को फिर से देखने की आवश्यकता है। सरकार अन्य विषयों के साथ-साथ तुरंत कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पद विचार कर सकती है:

**(i)** मिलिंग के लिए मिल मालिकों को सौंपे गए धान और चावल की समानान्तर सुरक्षा पाना।

**(ii)** बोरियों पर मूल्यह्रास, रख रखाव प्रभार और मंडी श्रम प्रभार संबंधी लागत शीट मापदण्डों में एकरूपता लाना।

**(iii)** पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के आधार पर, बोरियों मे भरे हुए धान के विनिर्देश में एकरूपता लाना।

**(iv)** एमएसपी का किसानों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

**(v)** मिलिंग और लागत प्रभारों का पुन: प्रतिष्ठापन

**(vi)** विषैले पदार्थों से खाद्य सुरक्षा और कीटनाशक अपशिष्ट से संबंधित लागू मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का सृजन करना।

चूंकि सीएमआर/उगाही चावल योजना खाद्य सुरक्षा परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों के लिए, अत: इसके अभीष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए इसकी समस्वरण की आवश्यकता हैं।

**(ए. के. सिंह)**
**उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**(रिपोर्ट केन्द्रीय एवं स्थानीय निकाय)**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 14 अगस्त 2015**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(शशि कान्त शर्मा)**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 17 अगस्त 2015**